कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक़) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-जी.डी.-I/कैसेटए.सी.एवंस्पिलिटए.सी.क्रय/के-65/2024-25 दिनांक

निविदा आमंत्रण

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर कार्यालय में स्थापित किये जाने हेतु 05 स्पिलिट एसी 2 टन (हॉट एंड कॉल्ड) को क्रय किये जाने हेतु निविदाऐं GEM पोर्टल पर आमन्त्रित की जाती है |

इस निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्तें इस कार्यालय की वेबसाइट (https://cag.gov.in/ae/rajasthan/en) पर उपलब्ध है |

हस्ता./-

व.उप महालेखाकार (प्रशासन)

_

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक़) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-जी.डी.-I/कैसेटए.सी.एवंस्पिलिटए.सी.क्रय/के-65/2024-25 दिनांक

_

विषयः- कार्यालय में स्थापित किये जाने हेतु 2 टन क्षमता के 05 हॉट एंड कोल्ड स्पिलिट एसी को क्रय किये जाने की निविदा हेतु

_

कार्यालय की सामान्य नियम एवं शर्ते

1. कार्यालय में लगाये जाने हेतु 05 हॉट एंड कोल्ड 2 टन क्षमता के स्पिलिट ए. सी. हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं|
2. सफल निविदादाता को कुल संविदा राशि का 5% प्रतिभूति गारंटी के रूप में बैंक गारंटी/ एफ.डी.आर. PAO I.A.&A.D. Rajasthan Jaipur) के पक्ष में 15 माह के लिए कार्यालय में 03 दिवस के अन्दर जमा करवानी होगी |
3. टेंडर स्वीकृत होने के पश्चात यदि ठेकेदार अपने टेंडर से विमुख होगा या 03 दिन में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराएगा या आपके द्वारा अनुबंध पूर्ण नही किया गया तो कार्यालय द्वारा GEM पर incident एवं रेड मार्क (Red flag) किया जावेगा |
4. कार्यादेश जारी किये जाने के पश्चात् पांच दिवस के भीतर सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी |
5. आपूर्ति किये जाने वाले सामान की मैन्युफैक्चरिंग तारीख छ; माह से अधिक नहीं होनी चाहिए |
6. आपूर्ति किये जाने वाले सामान की सुपुर्दगी के समय यदि किसी AC में कोई टूट फूट या डिफेक्ट पाया जाता है तो उसे दो दिवस में बदली करना होगा अन्यथा रु 500 /- प्रति दिन के अनुसार हर्जाना देना होगा |
7. सभी AC 4 star रेटिंग या इससे उपर के एवं 2 टन क्षमता के होने चाहिए |
8. वरिष्ठ उपमहालेखाकार(प्रशासन) (लेखा. व हक़.), राजस्थान जयपुर को अधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं |
9. इस टेंडर के अंतर्गत किसी भी शर्त अथवा दावे के संबंध में कोई भी विवाद हो तो उसे वरि. उपमहालेखाकार (प्रशासन) (लेखा व हक़) राजस्थान, जयपुर को विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा |
10. फर्म को जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन, फर्म का रजिस्ट्रेशन एवं KYC details के साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगें ।
11. सामान की आपूर्ति कार्यालय परिसर में की जानी होगी जिसके लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा |
12. आपूर्ति किये जाने वाले AC की न्यूनतम 1 वर्ष की वारंटी देनी होगी एवं 1 वर्ष के लिए फ्री सर्विस देनी होगी |
13. आपूर्तिकर्ता फर्म GeM पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट नहीं होनी चाहिए एवं इसके साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगें |
14. A.C. की पाट्र्स वारंटी में कम्प्रेशर पर 10 वर्ष की वारंटी देनी होगी |

15. GEM पर उपलब्ध समस्त शर्तें एवं सभी ATC को स्वीकार करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराना होगा |
16. यदि आपूर्तिकर्ता मांगे गए समस्त दस्तावेज उपलब्ध करने में असमर्थ होता हैं और नियम एवं शर्तें पूर्ण नहीं कर पाता हैं, तो उसे अयोग्य घोषित किया जायेगा |
17. फर्म को अपनी ESCALATION मैट्रिक्स (शिकायत निवारण तंत्र, टोल फ्री नंबर) बतानी होगी |
18. फर्म को बिड डॉक्यूमेंट में दिये गए Undertaking को non-judicial स्टाम्प पर निर्धारित पत्र में भरकर निविदा के साथ प्रस्तुत करने होगें |

Digitally signed by
Khem Chand Tiwari
Date: 13-02-2025
11:02:52

हस्ता./-

वरिष्ठ लेखाधिकारी/जी.डी.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

फर्म का नाम मय मोहर